कार्यालय मुख्य अभियंता (मानव संसाधन एवं प्रशासन)
मध्य प्रदेश पॉवर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड
(म.प्र.शासन का उपक्रम)
CIN No. U40109MP2001SGC014882
ब्लॉक नं.-9, शक्ति भवन, रामपुर, जबलपुर – 482008
फोन नं. : 0761-2702615 ई मेल : mppgcl@mp.nic.in
फैक्स नं.: 0761-2665805 वेबसाइट : www.mppgcl.mp.gov.in

क्र: मु.अ.(मा.सं.एवं प्र.)/ वे.पु./ 1846 जबलपुर, दि. - 8 MAY 2018

आदेश

विषय : आदेश क्रमांक 4974-75 दिनांक 29.12.2017 के माध्यम से म.प्र.पॉ.जन.कं.लि. द्वारा दिनांक 01.01.2016 से लागू वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के संबंध में स्पष्टीकरण।

--

म.प्र.पॉ.जन.कं.लि. द्वारा आदेश क्रमांक 4974-75 दिनांक 29.12.2017 के माध्यम से म.प्र.शासन, वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-8-1/2016/नियम/चार दिनांक 20.07.2017 एवं समसंख्यक परिपत्र क्रमांक एफ-8-1/2016/नियम/चार दिनांक 22.07.2017 एवं तत्संबंध में जारी ''म.प्र. वेतन पुनरीक्षण नियम, 2017 '' को अपने अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु यथा आवश्यक परिवर्तन सहित ग्राह्य किया है । म.प्र.शासन, वित्त विभाग द्वारा उक्त वेतन पुनरीक्षण नियम, 2017 के संबंध में एफ-8-1/2016/नियम/चार दि. 02.11.2017 के माध्यम से स्पष्टीकरण जारी किए गए हैं ।

म.प्र.पॉ.जन.कं.लि. उक्त स्पष्टीकरणों को अपने अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन पुनरीक्षण के संबंध में जारी आदेश क्रमांक 4974-75 दिनांक 29.12.2017 के तारतम्य में यथा आवश्यक परिवर्तन (**Mutatis Mutandis**) सहित निम्नानुसार ग्राह्य करता है :-

क्र.	उठाये गये बिन्दु	स्पष्टीकरण
1	नियम 9(ii) के अनुसार कंपनी कार्मिक की नियुक्ति, पदोन्नति या उच्च वेतनमान योजना के अधीन उन्नयन सहित वित्तीय उन्नयन 2 जनवरी से 1 जुलाई के मध्य (दोनों दिवसों सहित) दिया जाता है, तो वार्षिक वेतन वृद्धि 1 जनवरी होगी । परन्तु 1 जुलाई को पदोन्नति पर वेतन निर्धारण किये जाने की स्थिति में आगामी वेतन वृद्धि 1 वर्ष पश्चात अर्थात आगामी 1 जुलाई नियत की जावेगी । उक्त दोनों स्थिति में 1 जुलाई की तिथि में वेतन उन्नयन होने पर आगामी वेतन वृद्धि की तिथि प्रथम पैरा के अनुसार 1 जनवरी एवं द्वितीय पैरा के अनुसार 1 जुलाई अंकित की गई है, जिसके कारण कंपनी कार्मिकों को विकल्प का चयन करने में कठिनाई हो रही है ।	नियम 9(ii) के नीचे दिये गये उदाहरणों (क) एवं (ख) में आगामी वार्षिक वेतन वृद्धि की तिथि को स्पष्ट किया गया है । नियम 9(ii) का निर्वचन इन उदाहरणों के आधार पर किया जाए ।

2	दिनांक 01.01.2016 को संशोधित वेतन संरचना में वेतन निर्धारण के बाद अकार्य दिवस/सेवा में टूट या ऐसी अवधि, जिसके प्रभाव से आगामी वेतन वृद्धि पर प्रभाव पड़ता है, के लिए गणना किस तरह से की जाएगी ?	01-01-2016 को संशोधित वेतन संरचना में वेतन निर्धारण के बाद अकार्य दिवस/सेवा में टूट या ऐसी अवधि, जिसके प्रभाव से आगामी वेतन वृद्धि पर प्रभाव पड़ता है, उन प्रकरणों में वार्षिक वेतन वृद्धि हेतु संगणित करने वाली अवधि को 6 वें वेतनमान में वार्षिक वेतन वृद्धि के सिद्धांतों के समान ही गणना में लिया जायेगा अर्थात 6 माह अथवा 6 माह से अधिक की अर्हकारी सेवा पूर्ण होने पर वार्षिक वेतन वृद्धि की तिथि अपरिवर्तित रहेगी ।
3	पुनरीक्षण वेतनमान में वेतन निर्धारण के लिये तालिका में दर्शाये इण्डेक्स को अथवा 2.57 के गुणांक का प्रयोग किया जाएगा ?	वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के नियम 2(iv) के अनुसार संशोधित वेतन संरचना में वेतन निर्धारण के लिए संबंधित वेतन बैण्ड में वेतन + ग्रेड वेतन + व्यक्तिगत वेतन (वेतन संरक्षण के कारण यदि कोई हो तो) के योग को 2.57 के गुणांक के अनुसार संबंधित लेवल में वेतन निर्धारण कर किया जाना है ।
4	दिनांक 01-01-2016 के बाद किसी स्वीकृत अग्रिम वेतन वृद्धि का लाभ किस प्रकार दिया जावेगा ।	संशोधित वेतन ढांचे में अग्रिम वेतन वृद्धि देय तिथि को संबंधित लेवल के विद्यमान कोष्ठिका की अगली कोष्ठिका अनुसार देय होगा, परन्तु इसका प्रभाव नियमित वार्षिक वेतन वृद्धि पर नहीं होगा ।
5	वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के अनुसार 1-1-2016 को यदि किसी कंपनी कार्मिक की पदोन्नति हो जाती है तो उसका वेतन निर्धारण 01-01-2016 को पदोन्नत पद पर धारित वेतन पर किया जावेगा अथवा दिनांक 31-12-2015 को प्राप्त वेतन के आधार पर 01-01-2016 को वेतन निर्धारित कर तत्पश्चात 01-01-2016 को पदोन्नत पद के वेतन संरचना में वेतन निर्धारित किया जायेगा ?	म.प्र.वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 का नियम 12 पूर्णतः स्पष्ट है । दिनांक 01-01-2016 या उसके उपरांत पदोन्नति/ उच्च वेतनमान प्राप्त होने पर तदनुसार वेतन निर्धारण किया जाना है, सातवें वेतनमान में अर्थात दिनांक 01-01-2016 को वेतन निर्धारण किया जायेगा तदुपरांत पदोन्नति/ उच्च वेतनमान का वेतन निर्धारण होगा ।
6	01-01-2016 तथा 29-12-2017 के मध्य पदोन्नत, उच्च वेतनमान योजना के अंतर्गत उन्नयन सहित वित्तीय उन्नयन होने पर जिन कंपनी कार्मिकों द्वारा 6 वें वेतनमान के अंतर्गत विकल्प प्रस्तुत किया था क्या उन्हें पुनः 7 वें वेतनमान के अंतर्गत विकल्प देना होगा अर्थात पूर्व में दिया गया विकल्प ही मान्य होगा ?	दिनांक 01-01-2016से 29-12-2017 के मध्य पदोन्नत/क्रमोन्नत/ उच्च वेतनमान प्राप्त करने वाले कंपनी कार्मिकों को पदोन्नति/ क्रमोन्नत/ उच्च वेतनमान के मामले में स्पष्टीकरण जारी होने की तिथि से 30 दिन तक विकल्प प्रस्तुत करने की अनुमति होगी । विकल्प का प्रारूप प्रपत्र-1 में दिया गया है ।

संलग्नः- उपरोक्तानुसार

आदेशानुसार,

(ए.के. नेमा)
मुख्य अभियंता (मा.संसा.एवं प्रशा.)
म.प्र.पॉ.जन.कं.लि. जबलपुर

पृ.क्र: मु.अ. (मा.सं.एवं प्र.)/वे.पु./ 1857 जबलपुर, दि. 8 MAY 2018

1- विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, म.प्र.शासन, ऊर्जा विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल ।
2- कार्यपालक निदेशक/मुख्य अभियंता (संचा.संधा.-उत्पा.)/(सिविल अभियांत्रिकी)/(ईंधन प्रबंधन)/(अभियांत्रिकी)/(नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण)/(संचा.संधा.-जल विद्युत)/(सामग्री प्रबंधन)/(सी.एस.)/(परियोजना उत्पा.) म.प्र.पॉ.जन.कं.लि. जबलपुर।
3- मुख्य सुरक्षा अधिकारी, म.प्र.पॉवर जनरेटिंग कं.लि. जबलपुर ।
4- कार्यपालक निदेशक/मुख्य अभियंता (उत्पादन), संगांताविगृह/अताविगृह/सताविगृह/ श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना, म.प्र.पॉ.जन.कं.लि. बिरसिंहपुर/चचाई/सारनी/खण्डवा।
5- मुख्य महाप्रबंधक (मा.संसा.एवं प्रशा.), म.प्र.पॉ.मैनेजमेंट कं.लि., जबलपुर ।
6- मुख्य महाप्रबंधक (मा.संसा.एवं प्रशा.), म.प्र.पूर्व क्षेत्र /पश्चिम क्षेत्र /मध्य क्षेत्र वि.वि.कं.लि., जबलपुर/ इन्दौर/ भोपाल।
7- मुख्य महाप्रबंधक (मा.संसा.एवं प्रशा.), म.प्र.पॉ.ट्रांस.कं.लि., जबलपुर ।
8- मुख्य वित्तीय अधिकारी, म.प्र.पॉवर जनरेटिंग कं.लि. जबलपुर।
9- अतिरिक्त मुख्य अभियंता (उत्पादन-भंडार)/(टीएचसी) म.प्र.पॉवर जनरेटिंग कं.लि. जबलपुर/सिरमौर।
10- अधीक्षण अभियंता (संचा.संधा.)/(उत्पा.), गांधीसागर/राजघाट/पेंच/राअबासा/मड़ीखेड़ा/ बाणसागर-दो/तीन/चार,म.प्र.पॉ.ज.कं.लि., गांधीसागर/चंदेरी/तोतलाडोह/बरगीनगर/ शिवपुरी/ देवलोंद/सिलपरा/झिन्ना ।
11- अधीक्षण अभियंता (सिविल) सर्वे एवं अनु./जल वि.संधा.वृत्त), म.प्र.पॉवर जनरेटिंग कं.लि. जबलपुर।
12- वरिष्ठ लेखाधिकारी/क्षेत्रीय लेखाधिकारी (सी.ओ.जी.एण्ड एच.एस.)/संगांताविगृह/ अताविगृह/ सताविगृह/श्री सिंगाजी ताप विद्युत परि./टोंस जल विद्युत गृह, म.प्र.पॉ.जन.कं.लि. जबलपुर/बिरसिंहपुर/चचाई/सारनी/खण्डवा/सिरमौर ।
13- स्टॉफ आफिसर/निज सहायक संबद्ध प्रबंध संचालक/ संचालक (तकनीकी)/(वाणिज्य), म.प्र.पा.जन.कं.लि. जबलपुर ।
14- सहायक अभियंता (आई.टी.-वेबसाईट प्रभारी), कार्या.-कार्य.निदे.(मा.संसा.एवं प्रशा.), म.प्र.पॉ.ज.कं.लि., जबलपुर - वेबसाईट पर अपलोड हेतु ।
15- स्थापना/पेंशन शाखा, कार्या.-कार्य.निदे.(मा.संसा.एवं प्रशा.), म.प्र.पॉ.ज.कं.लि., जबलपुर
16- आदेश नस्ती ।

(भास्कर तिघारे)
अतिरिक्त मुख्य अभियंता
कार्या. मुख्य अभियंता (मा.संसा.एवं प्रशा.)
म.प्र.पॉ.जन.कं.लि. जबलपुर

परिशिष्ट

प्रपत्र-1

विषय : - दिनांक 01.01.2016 से 29.12.2017 के मध्य संशोधित वेतन संरचना में एक ग्रेड से दूसरे ग्रेड में पदोन्नति, क्रमोन्नति या उच्च वेतनमान दिए जाने की स्थिति में वेतन निर्धारण के लिये विकल्प ।

.0.

कार्यालयीन आदेश क्रमांक .... दिनांक .... द्वारा पदोन्नति/क्रमोन्नति/उच्च वेतनमान दिए जाने के फलस्वरूप संशोधित वेतन संरचना में उच्च लेवल में वेतन निर्धारण के लिए निम्नानुसार विकल्प प्रस्तुत हैं : -

(क) संशोधित वेतन संरचना में निचले लेवल में वेतन वृद्धि प्राप्त कर लेने के बाद उच्च लेवल में मेरा प्रारंभिक वेतन निर्धारित किया जाए ।

अथवा

(ख) पदोन्नति/क्रमोन्नति/उच्च वेतनमान दिये जाने की दिनांक को संशोधित वेतन संरचना में उच्च लेवल में मेरा वेतन पुनर्निर्धारित कर दिया जाए ।

हस्ताक्षर
नाम ....
पदनाम ....
कार्यालय ....

प्रतिहस्ताक्षर

कार्यालय प्रमुख
पदमुद्रा सहित